

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.02.2026

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆ थाना अलीनगर व आरपीएफ पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान 229.5 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर व आरपीएफ पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 08.02.2026 को समय करीब 16.30 बजे लोको कालोनी स्थित रेलवे ओवर ब्रीज के पास से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल मात्रा 229.5 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विक्रम कुमार महतो पुत्र धीरेन्द्र प्रसाद महतो निवासी रोमी पोस्ट सूर्यपुरा थाना ओपी0 पदमा जिला हजारीबाग झारखण्ड वर्तमान पता लावाकूदर पोस्ट डाटोखुर्द थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग (झारखण्ड) उम्र 32 वर्ष व पंचम कुमार महतो पुत्र धीरेन्द्र कुमार महतो निवासी रोमी पोस्ट सूर्यपुरा थाना ओपी0पदमा जिला हजारीबाग(झारखण्ड), वर्तमान पता- लावाकूदर पोस्ट डाटोखुर्द थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग(झारखण्ड) उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई।

05 बोरो में अवैध शराब लिये है-

1. पहले बोरी में 270 पीस 8PM गोल्ड प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML बरामद हुआ।
2. दुसरे बोरी में 300 पीस 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML बरामद हुआ,
3. तीसरे बोरी में 300 पीस आफ्टर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML बरामद हुआ,
4. चौथे बोरी में 300 पीस 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML बरामद हुआ
5. पाँचवे बोरी में 105 पीस आफ्टर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180 ML बरामद हुआ।

शराब बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ गिरफ्तार अभियुक्तगण- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में बताया हम लोग नाजायज शराब खरीद कर बेचते है जिससे हमे काफी उच्चे दाम मिलते है । जिससे हमारा और हमारे परिवार का जीवन यापन होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1.विक्रम कुमार महतो पुत्र धीरेन्द्र प्रसाद महतो निवासी रोमी पोस्ट सूर्यपुरा थाना ओपी0 पदमा जिला हजारीबाग झारखण्ड वर्तमान पता लावाकूदर पोस्ट डाटोखुर्द थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग (झारखण्ड) उम्र 32 वर्ष।
- 2.पंचम कुमार महतो पुत्र धीरेन्द्र कुमार महतो निवासी रोमी पोस्ट सूर्यपुरा थाना ओपी0पदमा जिला हजारीबाग(झारखण्ड), वर्तमान पता- लावाकूदर पोस्ट डाटोखुर्द थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग(झारखण्ड) उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु.अ.सं. 78/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

बरामदगी 270 पीस 8PM गोल्ड प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180ML,
405 पीस आफ्टर डार्क प्लास्टिक के टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180ML
600 पीस 8PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब प्रत्येक की मात्रा 180ML
कुल मात्रा 229.5 लीटर नाजायज अंग्रेजी शराब
कीमत करीब 2,30,000/- रुपये

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक – 08.02.2026

समय -16.30 बजे

स्थान – लोको कालोनी स्थित रेलवे ओवर ब्रीज के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अमित सेन सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

हो0गार्ड विजय बहादुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

आरपीएफ टीम-

स0उ0नि0 मो0 शाहिद खान RPF/DDU मुगलसराय थाना मुगलसराय चन्दौली ।

आरक्षी छोटेलाल यादव CPDS/DDU मुगलसराय चन्दौली।

आरक्षी आनन्द कुमार CPDS/DDU मुगलसराय चन्दौली।